

न्यायालय:-प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त  
न्यायाधीश, भिण्ड (म.प्र.)

(समक्ष-योगेश कुमार गुप्ता)

सत्र प्रकरण क्रमांक-94 / 2017

संस्थापन दिनांक-30.05.2017

फाइलिंग नंबर-एसटी / 2657 / 2017

मध्यप्रदेश शासन की ओर से  
आरक्षी केन्द्र एण्डोरी,  
जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

-----अभियोजन

**|| बनाम ||**

1. प्रदीप जाटव पुत्र अमरसिंह, आयु-27 साल,
  2. मनोज पुत्र केशव जाटव, आयु-28 साल,
  3. केशव जाटव पुत्र रामचरन, आयु-46 साल,
  4. गब्बर जाटव पुत्र जगदीश, आयु-29 साल,
- सभी निवासीगण ग्राम शेरपुर, थाना एण्डोरी,  
जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

----- अभियुक्तगण

**:: आदेश धारा 232(1)दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत ::**  
**(आज दिनांक 07 मई 2018 को पारित)**

1. अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा 294, 506, 323 (पांच काउण्ट) विकल्प में 323 सहपठित 34 (पांच काउण्ट), 324 विकल्प में 324 सहपठित 34 के अन्तर्गत आरोप लगाया जाकर विचारण किया गया है।
2. अभियुक्तगण को राजीनामा के आधार पर भा0दं0वि0 की धारा 294, 506, 323 (पांच काउण्ट) विकल्प में 323 सहपठित 34 (पांच काउण्ट) के आरोप से दोषमुक्त किया जाकर भा0दं0वि0 की धारा 324 विकल्प में 324 सहपठित 34 के अन्तर्गत विचारण जारी रहा है।
3. संक्षेप में अभियोजन का मामला यह है कि अभियोगी केदार सिंह अ.सा.1 द्वारा दिनांक 26.3.16 को 10.00 बजे इस आशय की रिपोर्ट की कि कल दिनांक 25.3.16 को शाम पांच बजे के करीब वह नेहरू की चक्की के पास खड़ा था तभी गांव के प्रदीप जाटव, मनोज जाटव, केशव जाटव व गब्बर जाटव आये और उससे बोले कि तू यहां क्यों खड़ा है तथा गाड़ी रास्ते पर खड़ी क्यों कर दी है, हम लोग गाड़ी में तोड़ फोड़ कर सकते हैं। अभियोगी द्वारा यह कहने पर कि हिम्मत है तो उसकी गाड़ी हटाओ। इसी बात पर सभी अभियुक्तगण उसे मां बहिन की गालियां देने लगे तथा गाली देने से मना करने पर मनोज ने हिमंचल को एक लाठी सिर में मारी जिससे खून निकल आया। केशव ने लात घूसों से मारपीट की। गब्बरसिंह ने रंजीत के सिर पर लाठी मारी जिससे खून निकल आया। प्रदीप ने रामचरन के पैर में लाठी मारी जिससे चोट आई। अभियुक्तगण गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देते हुये चले गये। अभियोगी की सूचना के आधार

पर थाना एण्डोरी में प्रधान आरक्षक साहबसिंह द्वारा प्र.पी.1 की प्रथमइतल्ला रिपोर्ट लेख की गई। विवेचना दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका प्र.पी.2 तैयार किया गया। आहतगण का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिक कार्यवाही के पश्चात् अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

4. अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्तानुसार आरोप लगाये जाने पर उन्होंने अपराध करना अस्वीकार किया और अपनी प्रतिरक्षा में यह कथन दिया है कि उन्हें झूठा फंसाया गया है।

5. निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न यह है कि—

क्या अभियुक्तगण द्वारा निर्मित सामान्य आशय को अग्रसर करने में किसी अभियुक्त ने हिमंचल को दांत से काटकर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की थी ?

6. अभियोगी केदारसिंह अ.सा.1 का शपथ पर कथन है कि करीब दो साल पहले उसका आरोपीगण से मुंहबाद हो गया था जिसमें उसे गिरने से चोट आई थी। उसने घटना की रिपोर्ट प्र.पी.1 थाना एण्डोरी में की थी। पुलिस ने नक्शा मौका प्र.पी.2 तैयार किया था। इसी प्रकार आहत हिमंचल अ.सा.2 द्वारा भी आरोपीगण से हुये मुंहबाद में गिरने से स्वयं को चोट आना व्यक्त किया गया है। अन्य साक्षी रामबरन अ.सा.3, मंजू अ.सा.4 एवं रंजीत अ.सा.5 द्वारा भी अभियोगी हिमंचल को अभियुक्तगण या किसी अभियुक्त द्वारा दांत से काटकर चोट पहुंचाये जाने की घटना का समर्थन नहीं किया गया है। उक्त सभी साक्षीगण को पक्ष विरोधी घोषित कर विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रतिपरीक्षण किये जाने पर साक्षीगण ने क्रमशः प्र.पी.3 लगायत 7 का बयान देना अस्वीकार किया है। अतः स्पष्ट है कि उक्त सभी साक्षीगण द्वारा न्यायालय में पुलिस बयान से भिन्न कथन दिया गया है। इस प्रकार उक्त सभी साक्षीगण पक्ष विरोधी साक्षी हैं तथा उनके कथनों से अभियोजन को कोई लाभ नहीं मिलता है।

7. पूर्वगामी कारणों से यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन का मामला अभियुक्तगण के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं है। परिणामस्वरूप अभियुक्तगण को आरोपित अपराध भा0दं0वि0 की धारा 324 विकल्प में 324 सहपठित 34 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

8. अभियुक्तगण जमानत पर स्वतंत्र हैं। उनके द्वारा निष्पादित बंधपत्र व जमानतनामा निरस्त किये जाते हैं।

स्थान— भिण्ड,

दिनांक—07 मई 2018

(योगेश कुमार गुप्ता)

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के

प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, भिण्ड (म0प्र0)